

PM SHRI K.V. AFS BAWANA DELHI-39
ADMISSION NOTICE
CLASS:- I

List displayed is provisional, subject to the verification of documents declared in the Registration Form by the parent.

The verification of documents and admission for the provisionally selected candidates will be held from 10.04.2026 to 15.04.2026 from 8:00 am to 12:00 noon.

Parents are requested to bring the following documents in original with one set of photo copy: -

1. Original Online Registration form (filled at the time of online registration)
2. Date of Birth Certificate issued by competent Authority
3. Copy of SC/ST/OBC-NCL/Disabled Candidates certificate issued by competent authority as per the format of Central Govt.
4. A service certificate including transfer detail (if required) signed and stamped by the head of the office with employee number (format displayed).
5. Latest Salary Slip of the parents. (for Govt. Employee)
6. Discharge slip for Ex-serviceman.
7. Two coloured passport size recent photograph of child.
8. Blood Group report of child from a pathology lab.
9. Aadhar Card of the of the child
10. Residence Proof (latest Electricity Bill/LPG gas bill/Water bill)
11. Every photocopy of document, which is submitted should be self-attested by the parents.
12. In case of SC/ST/OBC-NCL candidate the certificate in respect of either of the parents will be accepted but certificate in respect of child has to be submitted within a period of 15 Days from date of admission. OBC-NCL certificate should be as per Centre Govt. format.
13. Reservation as per law provided will be binding.
14. In case the formalities are not completed, the seat will be offered to the next candidate in waiting list.
15. Instructions regarding the books, uniform, school timing etc. will be given by the class teachers.

- NOTE:
- MERE REGISTRATION WILL NOT CONFER A RIGHT TO ADMISSION.
- INCOMPLETE APPLICATION FORM SHALL NORMALLY BE REJECTED.
- ADMISSION SECURED ON THE BASIS OF ANY WRONG CERTIFICATE WILL BE CANCELLED BY THE PRINCIPAL FORTHWITH AND NO APPEAL AGAINST SUCH ACTION OF THE PRINCIPAL SHALL BE ENTERTAINED.

BY ORDER
PRINCIPAL

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, वायु सेना स्टेशन बावाना, दिल्ली-39
प्रवेश सूचना
कक्षा:- प्रथम

प्रदर्शित सूची अनंतिम है और अभिभावक द्वारा पंजीकरण फॉर्म में घोषित दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन है। अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के लिए दस्तावेजों का सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया 10.04.2026 से 15.04.2026 तक सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।

अभिभावकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति और एक फोटोकॉपी साथ लाएं:

1. मूल ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म (ऑनलाइन पंजीकरण के समय भरा गया)
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
3. केंद्रीय सरकार के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-अनिवार्य श्रेणी/विकलांग उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र की प्रति
4. स्थानांतरण विवरण सहित सेवा प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो) जिस पर कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर और मुहर लगी हो और कर्मचारी क्रमांक अंकित हो (प्रदर्शित प्रारूप)।
5. अभिभावक की नवीनतम वेतन पर्ची (सरकारी कर्मचारी के लिए)
6. पूर्व सैनिक के लिए सेवामुक्ति पर्ची
7. बच्चे की दो रंगीन पासपोर्ट आकार की हालिया फोटो।
8. पैथोलॉजी लैब से बच्चे की रक्त समूह रिपोर्ट।
9. बच्चे का आधार कार्ड।
10. निवास प्रमाण (नवीनतम बिजली बिल/एलपीजी गैस बिल/पानी बिल)।
11. जमा किए गए प्रत्येक दस्तावेज की फोटोकॉपी माता-पिता द्वारा स्व-सत्यापित होनी चाहिए।
12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-अनिवार्य श्रेणी के उम्मीदवार के मामले में, माता-पिता में से किसी एक का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा, लेकिन बच्चे का प्रमाण पत्र प्रवेश तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग-अनिवार्य श्रेणी का प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार होना चाहिए।
13. कानून के अनुसार प्रदान किया गया आरक्षण बाध्यकारी होगा।
14. यदि औपचारिकताएं पूरी नहीं होती हैं, तो सीट प्रतीक्षा सूची में अगले उम्मीदवार को दी जाएगी।
15. पुस्तकों, वर्दी, स्कूल के समय आदि के संबंध में निर्देश कक्षा शिक्षकों द्वारा दिए जाएंगे।

नोट:

- केवल पंजीकरण कराने से प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- अपूर्ण आवेदन पत्र सामान्यतः अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- किसी भी गलत प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त प्रवेश प्रधानाचार्य द्वारा तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और प्रधानाचार्य की इस कार्रवाई के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

आदेशानुसार
प्राचार्य